वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत
संख्या : 479 /XVII(1)-01 / 2006–225(स.क.) / 2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–01, देहरादून, 24 मार्च 2006

विषय : अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5559 / स.क. / लेखा–बजट / पुनं.वि. / 2005–06, दिनांक 16 मार्च 2006 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1098 / XVII(1)-1 / 2005–225(स.क.) / 2002, दिनांक 14 जुलाई 2005 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए प्राविधानित धनराशि कम पड़ जाने के कारण TR-27 के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल द्वारा आहरित धनराशि समायोजित किए जाने हेतु रुपये 3,25,000/– (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. आबंटित धनराशि से TR-27 से आहरित धनराशि का समायोजन किया जाएगा।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों / योजनाओं में किया जाए जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है।
3. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
5. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय–सारणी के अनुसार शासन को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

क्रमशः

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के "अनुदान संख्या–30" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखा शीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–00–09–अनुसूचित जाति/जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम, 1998 का क्रियान्वयन" के मानक मद "20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जाएगा तथा संलग्न प्रारूप "बी. एम.–15" के पुनर्विनियोजन कालम–01 की बचतों से वहन किया जाएगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–1346/XXVII(3)/2006, दिनांक 24 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :979 (1)/XVII(1)-01/2006–225(स.क.)/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, उत्तरांचल।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
6. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
7. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तरांचल।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तरांचल शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

नियन्त्रक अधिकारी – सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

बजट प्रविधानित लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरेण्डर धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
अनुदान संख्या-30, 'आयोजनागत' 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 12-अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास 400 01-वेतन 200 09-विद्युत देय 200 48-महगाई वेतन	 120 60 60	 80 40 40	 200 100 100	अनुदान संख्या-30, 'आयोजनागत' 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 800-अन्य व्यय 08-अनुसूचित जाति/जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 325	2325	200 100 175	अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन के लिए प्राविधानित धनराशि कम पड़ जाने के कारण TR-27 के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तरांचल द्वारा आहरित धनराशि समायोजित किए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति दिए जाने के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता है।
800	240	100	400	325	2325	475	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-03
संख्या- 1346 (1)/XXVII-3/2006
देहरादून 24 मार्च 2006

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(एल. एम. पन्त) 24/3/2006
अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।

पृष्ठांकन संख्या- 477 (1)/XVII(1)-01/2006-225(स.क.)/2002, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी, नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल, उत्तरांचल।
4. आदेश पत्रिका।

आज्ञा से,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।